न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 70 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2023 / 193
दायर दिनांक :– 13.04.2023 **निर्णय दिनांक :–** 09.12.2024

01. कुसुम कंवर पत्नी प्रभूदान जाति चारण निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
02. जगदीश पुत्र नरूराम जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील देचू जिला फलोदी
03. मीरादेवी पत्नी नरूराम जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील देचू जिला फलोदी
04. श्रीराम पुत्र नरूराम जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील देचू जिला फलोदी
05. उगमकंवर पत्नी नरपतदान जाति चारण निवासी देशनोक तह. कोलायत जिला फलोदी
06. कुलदीप पुत्र नरपतदान जाति चारण निवासी देशनोक तह. कोलायत जिला फलोदी
07. नरपतदान पुत्र मुरारदान जाति विश्नोई निवासी पीलवा तहसील देचू जिला फलोदी
08. जलावरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति जट सिक्ख निवासी झण्डावाला संगरिया
09. जसकरणसिंह पुत्र कवरसिंह उर्फ कोरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी झण्डावाला संगरिया
10. बलदेवसिंह पुत्र कवरसिंह उर्फ कोरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी झण्डावाला संगरिया
11. हरनारायणसिंह पुत्र कवरसिंह उर्फ कोरसिंह जाति जट सिक्ख निवासी झण्डावाला संगरिया
12. ककूसिंह पुत्र कवरसिंह उर्फ कोरसिंह जाति जट सिख नि. सिगो तहसील तलमण्डी
13. बगतावरसिंह पुत्र टेकसिंह जाति जट सिख निवासी सिगो तह. तलमण्डी जिला भटिण्डा
14. बलजिन्द्र पुत्र मलकीतसिंह जाति जट सिख निवासी सिगो तह. तलमण्डी जिला भटिण्डा
15. महतसिंह पुत्र कोरसिंह उर्फ कंवरसिंह जाति जट सिख निवासी सिगो तह. तलमण्डी
16. रणजीतसिंह पुत्र कवरसिंह उर्फ कोरसिंह जाति जट सिख निवासी सिगो तह. तलमण्डी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 16 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 92 / 8 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की

09.12.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92/9 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92/10 रकबा 4.0469 हैक्टेयर सरहद मौजा बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 92/8 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीया का अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 12 ता 116 का उक्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेती आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि को लेकर कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया और न ही प्रार्थीया ने तरमीम बाबत किसी प्रकार की कोई सहमति दी है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ता 11 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से एंव बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 12 ता 16 को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित करवा दी जबकि प्रार्थीया का अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा की गई उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश से की है। इसलिये प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित खसरान् की नक्शा ट्रेस में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 16 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 92/8 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/9 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/10 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित सेग्रीगेशन योजना के तहत की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

09.12.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 92/8 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/9 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/6 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92/10 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)